[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)] GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 29th March, 2007

S.O. (E).- Whereas by notification of the Covernment of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.604(E) dated the 20th May, 2004, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 10, for Establishment and running of the school and hospital by H.B.S. Trust, (Fluman Benefits Services Trust) 21-C First Floor, Ratanada, Jodhpur-342001 (Rajasthan) as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by subsection (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Establishment and running of the school and hospital which is being carried out by H.B.S. Trust, (Human Benefits Services Trust) 21-C First Floor, Ratanada, Jodhpur-342001 (Rajasthan), without any change in the approved cost of Rs. 937.74 lakhs (including a corpus fund of Rs.500.00 lakhs), as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[₱.No] |2| /2007/ F.No. NC-274/03/2007]

Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II , खण्ड-3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च, 2007 सां0आ0 (अ0) जबिक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पिटत उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 मई, 2004 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 604(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने एच0बी0एस0 ट्रस्ट (मानव हित सेवा ट्रस्ट) 21-सी प्रथम तल, रतनाडा, जोधपुर-342001 (राजस्थान)द्वारा विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना एवं संचालन की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2003-04 से आरंभ होने वाले 3 वर्षों की अविध के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 10 पर विनिर्दिष्ट किया गया था:

और जबिक उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की सम्भावना है :

और जबिक सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय सिमित का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस सिमित ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले आगे तीन वर्षों की अविध के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एच0बी0एस0 ट्रस्ट (मानव हित सेवा ट्रस्ट) 21-सी प्रथम तल, रतनाडा, जोधपुर-342001 (राजस्थान) द्वारा विद्यालय एवं स्पताल की स्थापना एवं संचालन की परियोजना या स्कीम को 937.74 लाख रुपए (500.00 लाख रु0 की कॉर्पस निधि सहित) की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

(फाo संo 121 /2007/फाo संo एनoसीo -274/03 /2007)

(जे0पी० चन्द्राकर)

उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)